डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-एम.पी.
बि. पू. भु./04 भोपाल-2001.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
एम. पी. 108/भोपाल/2001.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 604] भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2001—आश्विन 30, शक 1923

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 16-4-91-दस-2 भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2001

संकल्प

वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जन-सहयोग प्राप्त करने के लिए पुनरीक्षित संकल्प.

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यह उल्लेख किया गया है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु स्थानीय जनता का सहयोग लिया जाए. तद्नुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार ने दिनांक 1 जून, 1990 को सभी राज्यों को यह निर्देश जारी किये कि वनों में एवं वनों के आसपास रहने वाले आदिवासियों एवं अन्य ग्रामीणों का वन उत्पादों पर प्रथम अधिकार माना जाएगा. इस सिद्धांत के अनुसार संयुक्त वन प्रबंध की प्रणाली के अंतर्गत वनों के प्रबंध में स्थानीय जनता का सहयोग लिया जा रहा है.

(2) इस सिद्धांत के अनुरूप 10 दिसंबर, 1991 को राज्य सरकार ने वन सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में जन-सहयोग प्राप्त करने हेतु संकल्प पारित किया. संकल्प में इस हेतु विस्तृत प्रक्रिया भी बताई गई. इसे व्यापक आधार देते हुए सभी वन क्षेत्रों में जन-भागीदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने दिनांक 4-1-95 को पुनरीक्षित संकल्प जारी किया जिसे अधिक्रमित करते हुए अधिसूचना क्रमांक एफ-16/4/91/दस-2, दिनांक 7 फरवरी, 2000 से संशोधित संकल्प पारित किया गया था, जिसमें सघन वनक्षेत्रों के लिए वन सुरक्षा समितियां, बिगड़े वन क्षेत्रों के लिये ग्राम वन समितियां तथा राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों तथा इनकी सीमाओं के बाहर 5 कि. मी. की परिधि में स्थित ग्रामों में ईको विकास समितियां गठित कर वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं सम्वर्धन सुनिश्चित किया गया. दिनांक 7 फरवरी, 2000 को जारी संकल्प में

कुछ व्यवहारिक कठिनाईयां दृष्टिगोचर हुई हैं. इस परिप्रेक्ष्य में समसंख्यक संकल्प दिनांक 7 फरवरी, 2000 को संशोधित करते हुए राज्य शासन निम्नानुसार संकल्प धारित करता है :—

(3) प्रदेश में प्रचलित वन प्रबंधन की वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश के वन क्षेत्रों को तीन हिस्सों (ज़ोन) में विभक्त किया गया है :—

प्रथम ज़ोन: राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में सम्मिलित वन क्षेत्र. ये क्षेत्र जैव-विविधता के संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.

द्वितीय ज़ोन: अन्य सघन वनक्षेत्र, जिनसे नियमित वानिकी कार्यों के अंतर्गत वन उत्पाद प्राप्त किये जाते हैं.

तृतीय ज़ोन: ऐसे वन क्षेत्र जो जैविक दबाव के कारण विरल हो गये हैं तथा जिनका पुनर्वनीकरण/ पुनर्स्थापन किया जाना आवश्यक है.

(4) **समितियाँ :**

4.1 राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य क्षेत्रों में स्थित समस्त ग्राम, उनकी बाहरी सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ऐसे ग्राम जिनका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के प्रबंध पर पड़ता है तथा जहां बफर क्षेत्र चिन्हित है, वहां बफर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में वनों के प्रबंध में जन-सहयोग प्राप्त करने हेतु ईको विकास समितियां गठित की जाएंगी. जो संयुक्त वन प्रबंध समितियां इन क्षेत्रों में पहले से गठित हैं, उन्हें भी ईको विकास समितिं कहा जाएगा.

4.2 अनुच्छेद 4.1 में दर्शाये ग्रामों को छोड़ कर सघन वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा के पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में वन सुरक्षा समितियों का गठन किया जाएगा.

4.3 अनुच्छेद 4.1 तथा 4.2 में दर्शाये ग्रामों को छोड़ कर बिगड़े वनक्षेत्रों में वनखंड सीमा से पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में ग्राम वन समितियों का गठन किया जाएगा.

(5) समितियों के गठन की प्रक्रिया :

5.1 प्रदेश के ग्रामों में वन विभाग के स्थानीय अमले द्वारा ग्राम की जनता को संयुक्त वन प्रबंध से परिचित कराने हेतु बैठक आयोजित की जाएगी तथा इसके पश्चात् ग्रामवासी यदि स्वेच्छा से वनों की सुरक्षा, विकास एवं प्रबंध से जुड़ना चाहें तो ऐसी सूचना प्राप्त होने पर ग्रामसभा की विधिवत् बैठक मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वाराज अधिनियम, 1993 की धारा-6 के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, 2001 में दर्शायी गई प्रक्रिया अनुसार आयोजित कर वन समिति का गठन किया जायेगा, जिसका कार्यकाल रजिस्ट्रेशन दिनांक से 5 वर्ष तक रहेगा. जिस प्रकार के ज़ोन में ग्राम स्थित है, उस ज़ोन के लिये निर्धारित समिति का गठन किया जायेगा. यदि ग्राम के साथ सघन एवं बिगड़े दोनों प्रकार के वनक्षेत्र हैं, तो जिस प्रकार के वनों का बाहुल्य होगा, उसी अनुसार वन सुरक्षा समिति अथवा ग्राम वन समिति गठित की जायेगी. पूर्व से कार्यरत समितियों एवं कार्यकारिणी का कार्यकाल ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात् समितियों के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण दिनांक से 5 वर्ष तक रहेगा.

स्पष्टीकरण :

उदाहरण के लिए समिति 'क' का गठन 1-7-94 को हुआ था, तो आज की स्थिति में चूंकि 5 वर्ष

से अधिक समय हो चुका है, अत: ग्रामसभा द्वारा समिति के गठन का अनुमोदन किया जायेगा. साथ ही नई कार्यकारिणी के गठन की कार्यवाही तत्काल की जावेगी.

यदि समिति व कार्यकारिणी 'ख' का गठन दिनांक 1-10-99 को हुआ है तो ग्राम सभा द्वारा समिति के गठन का अनुमोदन किया जाएगा, व वर्तमान कार्यकारिणी 30-9-2004 तक कार्यरत रह सकती है.

5.2 समिति के गठन के उद्देश्य से पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4(ख) के अनुसार ऐसे आवास या आवास समूह अथवा छोटे गांव या उनके समूह जिसमें ऐसे समुदाय समाविष्ट हों, जो परम्पराओं तथा रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करते हों, को ग्राम माना जाएगा, चाहे वह ग्राम अनुसूचित क्षेत्र (संविधान की अनुसूची) में स्थित हो अथवा उसके बाहर. ग्राम सभा द्वारा समिति का गठन होने के उपरांत एक माह के अंदर संबंधित वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)/वन मण्डल अधिकारी (वन्य प्राणी)/संचालक, राष्ट्रीय उद्यान द्वारा कंडिका-4 के अनुसार समिति को पंजीकृत किया जाएगा. वोट देने का अधिकार रखने वाले समस्त ग्रामीण इस समिति की आम सभा के सदस्य होंगे. समिति की प्रथम बैठक, जो कि मध्यप्रदेश ग्राम सभा (बैठकों की प्रक्रिया) नियम, 2001 में दर्शायी गई प्रक्रिया अनुसार आयोजित की जायेगी, में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी का चुनाव किया जायेगा जिनका कार्यकाल पांच वर्ष रहेगा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य होगा.

5.3 गठित समितियों के अध्यक्षों का वन मंडल स्तर पर संघ बनाया जाएगा.

(6) **कार्यकारिणी :**

समिति के सदस्यों में (पदेन सदस्यों को छोड़कर) कम से कम 11 तथा अधिकतम 21 सदस्यों की कार्यकारिणी का गठन कंडिका 5.2 में दर्शाई प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा :—

6.1 वन समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष कार्यकारिणी के भी पदेन अध्यक्ष/उपाध्यक्ष रहेंगे.

6.2 कार्यकारिणी में सभी सदस्यों को मिलाकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का अनुपात ग्रामसभा में यथासंभव उनकी जनसंख्या के अनुपात में चयन किया जावेगा.

6.3 कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी जिनमें ग्राम में कार्यरत महिला बचत समूहों, यदि कोई हों तो, की एक-एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना अनिवार्य होगा.

6.4 भूमिहीन परिवार, यदि उपलब्ध है तो, के न्यूनतम दो सदस्य (एक पुरुष एवं एक महिला) होंगे जिनमें ग्राम में कार्यरत स्व-सहायता समूह, यदि कोई हों तो, के एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना अनिवार्य होगा.

6.5 ग्राम में रहने वाले सभी पंच अथवा सरपंच तथा ग्राम सभा की ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष कार्यकारिणी के पदेन सदस्य रहेंगे.

6.6 यदि ग्राम में राजीव गांधी मिशन की जल ग्रहण विकास समिति कार्यरत है तो इस समिति के विभिन्न हितग्राही समूहों में से एक-एक हित ग्राही कार्यकारिणी का सदस्य होगा.

6.7 कार्यकारिणी के शेष सदस्यों हेतु ग्राम में निर्मित ग्राम संसाधनों के उपयोगकर्ता समूहों, यदि कोई हो तो, के एक-एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाना अनिवार्य होगा.

6.8 कार्यकारिणी के उक्त सदस्यों के अतिरिक्त संबंधित वन क्षेत्र का प्रभारी वनरक्षक अथवा वनपाल कार्यकारिणी का पदेन सचिव होगा.

6.9 समिति के ऐसे सदस्य को, जिसकी वन एवं पर्यावरण संरक्षण में रूचि हो व शैक्षणिक योग्यता यथासंभव आठवीं उत्तीर्ण हो, को कार्यकारिणी का सहायक सचिव बनाया जायेगा. इस हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के व्यक्ति एवं वन एवं पर्यावरण संरक्षण में रूचि रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी.

6.10 सहायक सचिव, प्रारंभ के दो वर्षों तक कार्यकारिणी सदस्य के रूप में सचिव के साथ कार्य कर कार्य में विशेषता प्राप्त करेगा व तदुपरान्त सदस्य सचिव के रूप में दायित्वों का निर्वहन करेगा. सहायक सचिव द्वारा सचिव का कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत संबंधित वनक्षेत्र का प्रभारी, वनरक्षक अथवा वनपाल तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में समिति की कार्यकारिणी का पदेन सदस्य रहेगा.

6.11 पदेन सदस्यों को छोड़कर कार्यकारिणी के अन्य सभी सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्षों का होगा.

(7) **क्षेत्र चयन :**

7.1 समिति के गठन के उपरान्त कार्यकारिणी की सलाह से संबंधित वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (वन्य प्राणी) संचालक, राष्ट्रीय उद्यान द्वारा विभिन्न प्रकार की समितियों हेतु वनक्षेत्र का चयन किया जाएगा. इस हेतु वनक्षेत्रपाल से अनिम्न स्तर के अधिकारी को उपरोक्त संबंधित वन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जा सकेगा. समिति हेतु वनक्षेत्र का चयन करते समय संबंधित ग्राम से उस वनक्षेत्र की दूरी तथा ग्रामीणों द्वारा निस्तार हेतु पारंपरिक रूप से उपयोग में लिए जा रहे वनक्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा. उक्त क्षेत्र की तकनीकी दृष्टि से उपयुक्तता पर सहायक वन संरक्षक स्तर के अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर क्षेत्र का चयन किया जाएगा. क्षेत्र चयन में किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति में संबंधित वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (वन्यप्राणी)/संचालक राष्ट्रीय उद्यान का निर्णय अंतिम होगा.

7.2 संरक्षित क्षेत्र के अंदर गठित ईको विकास समितियों हेतु वन क्षेत्र चयन नहीं किया जावेगा. संरक्षित क्षेत्र के बाहर के ग्रामों, जिनका प्रभाव संरक्षित क्षेत्र के प्रबंधन पर पड़ता है, के लिये ही कण्डिका 7.1 के आधार पर संरक्षित क्षेत्र से बाहर का वन क्षेत्र प्रबंधन हेतु ईको विकास समिति को दिया जा सकेगा.

(8) **सूक्ष्म प्रबंध योजना (Micro Plan) :**

8.1 समिति के गठन के पश्चात् यथाशीघ्र वन विभाग की सहभागिता से ग्रामीणों द्वारा सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार की जाएगी. इस योजना में ग्राम का क्षेत्र तथा समितियों हेतु चयनित वनक्षेत्र को भी सम्मिलित किया जाएगा. योजना में वन प्रबंध तथा ग्रामीण संसाधन विकास कार्यक्रम दोनों के संबंध में प्रावधान सम्मिलित होंगे. सूक्ष्म प्रबंध योजना में संसाधनों की संभावित उपलब्धता के अनुसार कार्य सम्मिलत किये जाएंगे. शेष कार्यों को पृथक्

परिशिष्ट में प्राथमिकता के अनुसार दर्शाया जाएगा. कार्यों के समक्ष क्रियान्वयन की एजेंसी एवं संसाधन के संभावित स्त्रोत भी दर्शाए जाएंगे. सूक्ष्म प्रबंध योजना को समिति संबंधित जिला स्तरीय वन अधिकारी को अनुमोदन हेतु भेजेगी. सूक्ष्म प्रबंध योजना का विचारोपरांत तकनीकी एवं वैधानिक दृष्टि से परीक्षण के उपरांत अनुमोदन किया जाएगा.

8.2 वनक्षेत्र में वन/वन्य प्राणी प्रबंध हेतु लागू कार्य आयोजना/प्रबंध योजना में प्रबंधन के सिद्धांत निर्धारित किये जाते हैं. समिति हेतु चयनित वनक्षेत्र में किये जाने वाले कार्य उक्त सिद्धांतों के अनुरूप रहेंगे. सूक्ष्म प्रबंध योजना में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वन/वन्य प्राणी प्रबंधन हेतु प्रभावशील अधिनियमों/नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है.

8.3 उक्त सूक्ष्म प्रबंध योजना के अनुसार वनों में किये जाने वाले कार्यों के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा की जाएगी. इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे कार्य जो वनों पर ग्रामीणों की निर्भरता कम करते हैं, तथा वन संसाधनों के बेहतर प्रबंध से जुड़े हों, उनके लिए भी राशि की व्यवस्था यथासंभव वन विभाग तथा समिति द्वारा शासकीय राशि, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अन्य शासकीय विभागों, पंचायतों तथा अन्य स्त्रोतों से की जाएगी. इन कार्यों के क्रियान्वयन में समिति के सदस्यों का श्रम घटक के रूप में इसका 25 प्रतिशत तक यथासंभव योगदान आवश्यक होगा. योगदान के समतुल्य राशि कार्य के मूल प्रावधान से समिति के खाते में जमा की जाएगी, जिससे समिति द्वारा ग्रामीण संसाधन विकास के कार्य कराए जा सकेंगे.

8.4 वन विभाग एवं समिति द्वारा अन्य विकास विभागों के सहयोग से सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार की जायेंगी. ग्राम संसाधन विकास कार्य हेतु जो कार्य सूक्ष्म प्रबंध योजना में सम्मिलित किये जाएंगे उनके क्रियान्वयन हेतु राज्य के अन्य विकास विभागों से तकनीकी एवं वित्तीय संसाधन प्राप्त किये जा सकेंगे.

8.5 आर्थिक विकास के ऐसे कार्य जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से उपयुक्त तथा संवहनीय हों, उन्हें सूक्ष्म प्रबंध योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा.

8.6 सूक्ष्म प्रबंध योजना के माध्यम से क्रियान्वित होने वाले ग्राम विकास कार्यों में समन्वय के लिए जिला पंचायत की वन स्थाई समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले हेतु एक समन्वय समिति का गठन किया जायेगा. यह समिति प्रत्येक चार माह में कम से कम एक बार समन्वय हेतु बैठक आयोजित करेगी, जिसमें जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे. वन संरक्षक द्वारा नामांकित एक जिला स्तरीय वनाधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे.

(9) बैठकें :

अध्यक्ष की अनुमति से पदेन सचिव द्वारा कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी. तीन माह में न्यूनतम एक बैठक बुलाना अनिवार्य होगा. सामान्यत: समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जाएगी, किन्तु उनकी अनुपस्थिति में सदस्य आम सहमति से किसी अन्य सदस्य को बैठक हेतु अध्यक्ष चुन सकेंगे. आमसभा की बैठक प्रत्येक छ: माह में न्यूनतम एक बार बुलाई जाएगी. बैठक का समय व स्थान अध्यक्ष के परामर्श से तय किया जाएगा. बैठक का कार्यवाही विवरण सदस्य सचिव द्वारा इस हेतु संधारित पंजी में रखा जाएगा. कार्यकारिणी की समयावधि समाप्ति वर्ष में समिति की अंतिम बैठक में कंडिका 5.2 में दर्शाई गई प्रक्रिया अनुसार आगामी कार्यकारिणी का चुनाव किया जायेगा. यह बैठक कार्यकारिणी के कार्यकाल समाप्ति के एक माह पूर्व बुलाना अनिवार्य होगा.

(10) गणपूर्ति (कोरम) :

कार्यकारिणी हेतु 50 प्रतिशत सदस्य तथा आमसभा हेतु 30 प्रतिशत सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी.

(11) समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :

11.1 अधिकार :

जिला स्तरीय वनाधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर कि समिति द्वारा संयुक्त वन प्रबंध का कार्य संतोषप्रद रूप से किया गया है, समिति को निम्नानुसार लाभ प्राप्त हो सकेंगे :—

1. सभी समितियों के परिवारों को प्रतिवर्ष उपलब्धता अनुसार केवल विदोहन व्यय लेते हुये रॉयल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता होगी.

2. सभी वन समितियों को समय-समय पर माइक्रोप्लान/कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार किये जाने वाले काष्ठ कूप के विरलन तथा बिगड़े बांस वनों के भिरां सफाई से प्राप्त शत-प्रतिशत वनोत्पाद विदोहन व्यय लेते हुए दिया जा सकेगा.

3. वन सुरक्षा समिति को आवंटित वनक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप काष्ठ कूप के अंतिम पातन से प्राप्त वन उत्पाद के 10 प्रतिशत एवं बांस कूप के पातन से प्राप्त वन उत्पाद का 20 प्रतिशत मूल्य, अनुपातिक विदोहन व्यय घटाकर समिति को प्रदाय किया जायेगा. मूल्य की गणना कूप से संबंधित काष्टागार में कैलेण्डर वर्ष के दौरान काष्ठ/बांस के प्राप्त मूल्य के भारित औसत के आधार पर की जावेगी.

4. ग्राम वन समिति को आवंटित खुले/बिगड़े वनक्षेत्र में रोपण/बिगड़े वनों का सुधार/ चारागाह विकास कार्य किये जाने पर उक्त रोपित क्षेत्र के मुख्य पातन से प्राप्त होने वाले उत्पाद का शत-प्रतिशत मूल्य अनुपातिक विदोहन व्यय घटाकर, समिति को प्रदान किया जायगा. मूल्य की गणना कूप से संबंधित काष्ठागार में कैलेण्डर वर्ष के दौरान काष्ठ/बांस के प्राप्त मूल्य के भारित औसत के आधार पर की जावेगी.

5. जो ईको विकास समितियां संरक्षित वन क्षेत्र के भीतर स्थित हैं, वहां कटाई पर प्रतिबंध होने के कारण ऐसी समितियों को भी वनोपज का मूल्य दिया जाये. इस वनोपज का मूल्य संबंधित संरक्षित क्षेत्र से लगे क्षेत्र में कार्यरत वन सुरक्षा समिति को मिलने वाली वनोपज के समान ही होगा. उपरोक्त व्यवस्था इन ग्रामों को प्रतिवर्ष मिलने वाली निस्तार सुविधा के अतिरिक्त होगी. संरक्षित क्षेत्र से बाहर स्थित ग्रामों में कार्यरत ईको विकास समितियों को उसे आवंटित वनक्षेत्र के घनत्व के आधार पर ऊपर दर्शाये अनुसार लाभ प्राप्त होगा.

प्रत्येक प्रकार की समिति को अंतिम पातन से मिलने वाली राशि का 50% भाग समिति के सदस्यों के बीच नगद वितरित किया जावेगा, 30% भाग ग्रामीण संसाधन विकास एवं 20% भाग वन विकास कार्यों हेतु व्यय किया जावेगा.

6. लघु वनोपज के संबंध में समितियों के अधिकार पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय लिये गये निर्णयों के अनुसार होंगे.

7. यदि समिति के क्षेत्र के अंतर्गत संज्ञान किये गये वन अपराध में अपराधी को पकड़वाने में समिति द्वारा सहयोग किया जाता है तो प्रकरण अभिसंधानित करने या न्यायालय द्वारा निर्णय होने के पश्चात् अपराधी से वसूल की गई मुआवजा/अर्थदण्ड की पचास प्रतिशत राशि समिति के खाते में जमा की जावेगी, जो कि ग्राम विकास पर ही व्यय की जायेगी.

8. यदि समिति के किसी सदस्य द्वारा समिति के कार्यों में असहयोग किया जाता है, समिति के निर्णयों का पालन नहीं किया जाता है या वन अपराध किया जाता है, तब समिति आमसभा में निर्णय लेकर ऐसे व्यक्ति को निस्तार की पात्रता से वंचित रखते हुये उसकी सदस्यता समाप्त कर सकेगी, किन्तु ऐसा करने के पूर्व संबंधित सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा. वन अपराध हेतु की गई कार्यवाही उक्त कार्यवाही के अतिरिक्त होगी.

9. समिति अपने समस्त अथवा विशिष्ट अधिकारों को आमसभा की बैठक में निर्णय लेकर कार्यकारिणी को प्रत्यायोजित कर सकेगी.

11.2 **कर्तव्य :**

1. समिति के सदस्यों द्वारा वनों का अग्नि, अवैध चराई, अवैध कटाई, अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन, अतिक्रमण व शिकार से बचाव किया जाएगा तथा वन विभाग को इसमें सहयोग किया जाएगा. इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समिति अपने सदस्यों की सहायता से वनों की सुरक्षा हेतु आवश्यक कदम उठाएगी.

2. वनों एवं वन्यजीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अथवा वनक्षेत्र में अवैध प्रवेश/ अवैधानिक गतिविधि करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की सूचना वन विभाग को दी जाएगी.

3. यदि वन्य प्राणी वनों से भटक कर बाहर आ जाते हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुये निकटस्थ वन अधिकारी को सूचना दी जाएगी.

4. समिति द्वारा वन विभाग के साथ मिलकर सूक्ष्म प्रबंध योजना एवं वार्षिक कार्य योजना बनाई जाएगी. योजना में सामुदायिक, हितग्राहीमूलक, आवश्यकता पर आधारित एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं के आधार पर कार्यक्रमों का समावेश किया जायेगा. वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता दी जायेगी. सूक्ष्म प्रबंध योजना वन विभाग की ओर से वन परिक्षेत्र अधिकारी एवं समिति की ओर से कार्यकारिणी के अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित होंगी. सूक्ष्म प्रबंध योजना के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक कार्य आयोजना बनायी जायेगी. वार्षिक कार्य आयोजना के क्रियान्वयन हेतु समिति को एक बार में दस प्रतिशत तक राशि अग्रिम के रूप में प्रदाय की जा सकेगी. स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा. यदि कोई समिति कार्यों का सम्पादन संतोषजनक रूप से नहीं करती है अथवा कार्य करने की इच्छुक नहीं है तो ऐसे प्रकरणों में कार्य विभागीय तौर पर क्रियान्वित किया जायेगा.

5. समिति के सदस्यों को उनके क्षेत्र या अन्य वन क्षेत्र में वन अपराध होने की सूचना होने पर उनके द्वारा तत्काल इसकी सूचना संबंधित बीट गार्ड/गेम गार्ड को दी जाएगी,

साथ ही वन अपराधियों को पकड़ने में वन कर्मियों की मदद की जाएगी. पकड़े गये अपराधी तथा वनोपज संबंधित वन अधिकारी को सौंपे जाएंगे.

6. समिति के अध्यक्ष एवं जिला स्तरीय वन अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के मध्य "मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टेंडिंग" हस्ताक्षर किया जाएगा.

7. संकल्प के पैरा 8.3 के अनुसार सूक्ष्म प्रबंध योजना के क्रियान्वयन में समिति के सदस्यों का श्रम घटक के रूप में यथा संभव योगदान सुनिश्चित किया जायेगा.

8. वन अपराध की जांच में समिति के सदस्यों द्वार वन विभाग के अमले को सहायता दी जाएगी.

9. समिति को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि का लेखा-जोखा रखा जाएगा व व्यय का आडिट वनाधिकारी द्वारा निर्धारित एजेंसी से कराया जाएगा.

10. समिति द्वारा सदस्यों की सूची एक पंजी में संधारित की जायेगी. इसके अतिरिक्त अन्य ऐसी पंजी एवं अभिलेख रखे जायेंगे जो वनाधिकारी द्वारा निर्धारित किये जायें.

11. वन सुरक्षा के संदर्भ में वन समिति सदस्यों को उनके क्षेत्र में वन गश्त के दौरान विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत वन कर्मियों की भांति ही लोक सेवक माना जायेगा तथा उन्हें लोक सेवक की भांति शासकीय हित में सद्भावनापूर्वक किये गये कार्यों के लिए वैधानिक संरक्षण उपलब्ध होगा. इसी प्रकार यदि वन अपराध की रोकथाम या संज्ञान के दौरान समिति सदस्य घायल होता है या मारा जाता है तो उसे वनकर्मी के अनुरूप समस्त लाभ प्राप्त होंगे.

12. यदि समिति के क्षेत्र के अंतर्गत संज्ञान किये गये वन अपराध में वन अपराधी को पकड़वाने में समिति द्वारा सहयोग किया जाता है तो प्रकरण अभिसंधानित होने या न्यायालय द्वारा निर्णय होने पर अपराधी से वसूल की गई मुआवजा/अर्थदंड की 50 प्रतिशत राशि समिति के खाते में जमा की जायेगी.

(12) **वनाधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य :**

जिला स्तरीय वन अधिकारी के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नानुसार रहेंगे. यदि इस संकल्प में अन्यथा उल्लेख न हो तो वे उक्त अधिकारों को वन क्षेत्रपाल से अनिम्न अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेंगे.

12.1 **अधिकार :**

1. समितियों हेतु कंडिका 7.1 के अनुसार क्षेत्रों का निर्धारण.

2. सूक्ष्म प्रबंध योजना का अनुमोदन.

3. समिति का लेखा एवं सदस्यों के मध्य वनोपज एवं अन्य लाभ के वितरण हेतु बनाये गये नियमों का परीक्षण.

4. यदि समिति द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन पैरा 11.2 के अनुसार नहीं किया जाता है तथा वनाधिकारी द्वारा लिखित चेतावनी के उपरांत भी सुधार नहीं किया जाता है तब वनाधिकारी द्वारा समिति को भंग करते हुये मेमोरेंडम ऑफ अन्डरस्टेंडिंग को

समाप्त किया जा सकेगा. ऐसी स्थिति में समिति के सदस्यों को पैरा 11.1 में दर्शाये लाभों की पात्रता समाप्त हो जायेगी.

12.2 **कर्तव्य :**

1. कंडिका 5.1 के अनुसार समिति के गठन हेतु ग्रामस्तर पर बैठक का आयोजन.
2. समिति का पंजीयन.
3. समिति एवं कार्यकारिणी के चुनाव का पर्यवेक्षण.
4. समिति के सदस्यों को सूक्ष्म प्रबंध योजना बनाने एवं इसके क्रियान्वयन में प्रशिक्षण देना तथा तकनीकी सहयोग प्रदान करना.
5. कंडिका 8.3 के अनुसार सूक्ष्म प्रबंध योजना में सम्मिलित कार्यों हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना एवं कंडिका 8.4 में दर्शाये कार्यों हेतु अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करना.
6. समिति को उसके कर्त्तव्यों के निष्पादन एवं अनुश्रवण में सहयोग करना एवं उनके आंतरिक मतभेद समाधान में सहयोग करना.
7. समिति द्वारा किये गये कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन.
8. समिति के वार्षिक लेखों का परीक्षण करने हेतु एजेंसी का निर्धारण एवं उसके माध्यम से लेखा परीक्षण कराना.
9. कंडिका 11.1 की उपकंडिका 1 से 3 के अनसुार समिति को आवंटित क्षेत्रों से वनोपज एवं अन्य लाभ का प्रदाय.
10. समाज के कमजोर वर्ग, विशेषतौर पर महिलाओं की, समिति के निर्णयों एवं लाभांश में समुचित भागीदारी सुनिश्चित करना.

(13) **अपील :**

1. कंडिका 11.1 की उप कंडिका 8 में पारित आदेश के विरुद्ध संबंधित व्यक्ति, आदेश की तिथि से एक माह के अंदर क्षेत्रीय अधिकार रखने वाले वन क्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी को अपील कर सकेगा.
2. वनाधिकारी द्वारा समिति भंग करने के आदेश के विरुद्ध आदेश की तिथि से एक माह के अन्दर कंडिका 5.4 में गठित संघ को अपील की जा सकेगी.
3. उपरोक्त अपीलीय अधिकारियों का निर्णय अंतिम होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मेन्द्र शुक्ला, अपर सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.